# <u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 145 / 2009

शिवकांची देवी बनाम जमुना प्रसाद आदि

**<u>16.08.2019-</u>**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 54ग2 पर उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र 54ग2 वादी पक्ष द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक-02.08.2019 को प्रतिवादी अचानक बीमार हो गये थे इसलिये उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। प्रार्थना की गई है कि दिनांक-02.08.2019 के आदेश को अपास्त कर प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाये।

वादी पक्ष द्वारा अपनी मौखिक आपत्ति में अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर विलम्ब कारित करने के आशय से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी पक्ष का प्रार्थना पत्र 54ग2 खारिज किया जाये।

दिनांक-02.08.2019 को साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रतिवादी के साक्ष्य का अवसर को समाप्त किया गया था। प्रतिवादी द्वारा उक्त तिथि को अचानक बीमार हो जाने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने का अभिकथन किया गया है तथा आज अपने साक्षी को मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिध्दान्तों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक वादी पक्ष को हुई असुविधा का प्रश्न है उसका समायोजन हर्जे पर किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र 54ग2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 54ग2 मु. 500/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दिनांक-02.08.2019 का आदेश अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते जिरह डी.डब्लू.-1 दिनांक-06.09.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)
मऊ-चित्रकूट।